

— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर ।

दिनांक-26.06.2021

थाना कोठरा पुलिस द्वारा ₹ 15000/- का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोठरा पुलिस द्वारा ₹ 15000/- के इनामिया गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । थाना कोठरा पर पंजीकृत उक्त गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग की विवेचना प्र०नि० स्वामीनाथ प्रसाद थाना कोठरा द्वारा की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ₹ 15000/- का ईनाम घोषित किया गया था । दिनांक 26.06.2021 को प्र०नि० स्वामीनाथ प्रसाद मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त अर्पित यादव पुत्र राजेश यादव निवासी मवैया थाना चील्ह मीरजापुर को बथुआ तिराहे से समय 08.30 बजे गिरफ्तार कर मा०न्यायालय/जेल भेजा गया । जिसपर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15000/-रु० का नगद पुरष्कार घोषित किया गया था । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कोठरा सहित अन्य थानो पर भी वाहन चोरी व मारपीट जैसे अपराध से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है, जो जनवरी 2021 से फरार चल रहा था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

अर्पित यादव पुत्र राजेश यादव निवासी मवैया थाना चील्ह मीरजापुर ।

आपराधिक इतिहास—

- 1- मु०अ०स० 134/20 धारा -379/411/भा०द०वि०
- 2- मु०अ०स० 135/20 धारा -41/411/413/414/419/420भा०द०वि०
- 3- मु०अ०स० 10/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि०

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

बथुआ तिराहा से, दिनांक 26.06.2021 को समय 08.30 बजे

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1- प्र०नि० स्वामीनाथ प्रसाद थाना को०कटरा मीरजापुर ।

2- हे०का० बृजेश यादव थाना को०कटरा मीरजापुर ।

3- का० धीरेन्द्र चौहान,का० पंकज दूबे,का० धीरेन्द्र श्रीवास्तव व रि०का० योगेन्द्र ।

